2007-2008 के दौरान वृक्षारोपण और गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन और जागरुकता कार्यक्रम के लिए विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को वित्तीय सहायता ।

पर्यावरण और वन मंत्रालय, ग्याहरवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को ग्रीनिंग इंडिया हेतु सहायता अनुदान स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । स्कीम के तहत सरकारी, वन, सामुदायिक और निजी भूमियों पर वनीकरण और गुणवत्ता रोपण सामग्री (क्यू पी एम) के उत्पादन के लिए हाई-टेक/उपग्रह पौधशालाओं की स्थापना सहित जागरुकता कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । आवेदन पत्र के प्रपत्र सहित स्कीम के दिशानिर्देश, सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रधान मुख्य वन संरक्षकों को उपलब्ध कराए गए हैं और मंत्रालय की वेबसाईट http:www.envfor.nic.in से भी प्राप्त किए जा सकते हैं ।

2. पात्रता मानदंड

मदें	वृक्षा रोपण	उपग्रह पौधशालाओं की स्थापना	केंद्रीय हाई-टेक पौधशाला और जागरुकता कार्यक्रम
क्रियान्वयन अभिकरण	सरकारी विभाग, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थानों, राज्य वन विभागों, पंजीकृत समितियों, नॉन प्रोफिट संगठनों, सहकारी समितियों, धर्मार्थ न्यासों, स्वैच्छिक अभिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायतशासी निकायों, पंजीकृत विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय	(i) राज्य वन विभाग अपने आप अथवा वानिकी/कृषि अनुसंधान संगठनों/वन विकास अभिकरणों/गरीबी रेखा के नीचे रह-रहे किसान/वृक्ष उगाने वाली सहकारी समितियों/पंचायतों के सहयोग से । (ii) गरीबी रेखा से नीचे रह-रहे किसानों और निजी उद्यमी सहित व्यक्ति	राज्य वन विभाग अपने आप अथवा वानिकी/कृषि/अनुसंधान संगठनों/वन विकास अभिकरणों/गरीबी रेखा के नीचे रह-रहे किसानों/वृक्ष उगाने वाली सहकारी समितियों/पंचायतों के सहयोग से
न्यूनतम पंजीकरण अवधि	31 मार्च, 2007 को पंजीकरण के पांच वर्ष पूरे होने चाहिए ।	आवेदन के समय, स्थानीय अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होना चाहिए ।	लागू नहीं
अनुभव	पर्यावरण के क्षेत्र अथवा संबंधित सामाजिक क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो ।	क्यू पी एम के स्रोतों और उनकी प्राप्ति के विषय में जानकारी सहित पौधशालाओं को उगाने में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो ।	लागू नहीं

3. राज्य में वृक्षारोपण और उपग्रह पौधशालाओं की स्थापना के लिए प्रस्तावों को प्राप्त करने और उनकी संवीक्षा करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी सी सी एफ) को फोकल बिंदु बनाया गया है । परियोजना प्रस्तावों की दो प्रतियां, निर्धारित प्रपत्र में संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सीधे भेजे जाएं । स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, पूर्ण प्रस्ताव, राज्य/संघ शासित प्रदेशों के वन विभागों द्वारा 15 अगस्त, 2007 तक प्राप्त किए जाएंगे । प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेशों के प्रस्तावों की प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा उचित संवीक्षा और प्राथमिकता के बाद सिफारिश की जाएगी । प्रधान मुख्य वन संरक्षकों से सभी अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित पूर्ण परियोजना प्रस्तावों को इस मंत्रालय में प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2007 है । सभी प्रस्ताव/दस्तावेज़/कागज़ात केवल पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने अपेक्षित हैं ।

मंत्रालय किसी भी प्रस्ताव को सीधे प्राप्त/विचार नहीं करेगा ।

भारत सरकार
पर्यावरण और वन मंत्रालय
राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड